संख्या:-7/2015/714/11-5-2015-218(39)/2010

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2015

विषय: स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के निर्माणाधीन विभागीय भवनों को पूर्ण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-91 में अनुपूरक मांग द्वारा व्यवस्थित धनराशि की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के विभागीय भवनों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-1774/11-5-2011-218(39)/10 दिनांक 07-07-2011, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 08-11-2011, शासनादेश संख्या-2223/11-5-2012-218(39)/10 दिनांक 17-10-2012, शासनादेश संख्या-36/11-5-2013-218(39)/10 दिनांक 21-01-2013 तथा शासनादेश संख्या-356/11-5-2013-218(39)/10 दिनांक 14-03-2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अन्य उपनिबन्धक कार्यालयों सहित निम्नलिखित उपनिबन्धक कार्यालयों के निर्माण हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करके पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

धनराशि रू0 (लाख में)

| क्र0 | परियोजना का नाम | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति | अवमुक्त की जा चुकी धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | उपनिबन्धक कार्यालय(मऊरानीपुर) झाँसी , | 46.29 | 46.29 |
| 2 | उपनिबन्धक कार्यालय, बहराइच (कैसरगंज) | 53.91 | 53.91 |
| 3 | उपनिबन्धक कार्यालय, आजमगढ़ (मेहनगर) | 31.72 | 31.72 |
| | योग- | 131.92 | 131.92 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-4573/नौ-104/2014 दिनांक 18-09-2014, पत्र संख्या-4627/नौ-104/2014 दिनांक 30-09-2014 एवं पत्र संख्या-423/नौ-104/2015 दिनांक 18-02-2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन पर शासन के प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से मूल्यांकन कराया गया।

3- इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-695/नौ-104/2015 दिनांक 12-03-2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के साथ कार्यदायी संस्था यू0पी0 कॉन्सट्रक्शन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लि0 (पूर्व नाम उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण नि0लि0) के द्वारा प्रदत्त उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पत्र संख्या-708/नौ-104(मुख्यालय)/2015 दिनांक 24-03-2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नानुसार उल्लिखित निर्माणाधीन कार्यालयों के भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु श्री राज्यपाल रूपये 173.24 लाख (रूपये एक करोड़ तिहत्तर लाख चैबीस हजार मात्र), जिसका विवरण निम्न तालिका के कालम-3 में उल्लिखित है, की प्रशासकीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष अवशेष धनराशि के रूप में रूपये 38.40 लाख (रूपये अडतीस लाख चालीस हजार) मात्र की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि आप के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निम्नलिखित परियोजना को पूर्ण कराये जाने हेतु कॉलम-4 में अंकित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र0सं0 | परियोजना का नाम | पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति | अवमुक्त की जाने वाली धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | उपनिबन्धक कार्यालय झाँसी , (मऊरानीपुर) | 63.09 | 15.80 |
| 2 | उपनिबन्धक कार्यालय, बहराइच (कैसरगंज) | 67.06 | 12.15 |
| 3 | उपनिबन्धक कार्यालय, आजमगढ़ (मेहनगर) | 43.09 | 10.45 |
| | योग- | 173.24 | 38.40 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) पुनरीक्षित प्रायोजना के आगणन यू0पी0 स्टेट कॉन्सट्रक्शन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ (पूर्व नाम उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण नि0लि0) द्वारा तैयार किये गये है तथा निर्माण कार्य इन्ही के द्वारा कराया जायेगा।

(3) प्रभाग द्वारा प्रायोजनाओं की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उदेश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा तथा कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर ही महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा कार्यदायी संस्था को स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(4) निर्माण के समय कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तर दायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा तथा इसका मूल्यांकन समय-समय पर जिला स्तर के सक्षम अधिकारी से कराया जायेगा।

(5) पुनरीक्षित प्रायोजना का गठन वर्क डन एवं वर्क टू बी डन के आधार पर किया गया है, जिसमें वर्क डन के अन्तर्गत क्रियान्वित किये गये कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2011-12 की दरों पर तथा वर्क टू बी डन के कार्यो की लागत वर्तमान में वर्ष 2014 से प्रभावी दर अनुसूची के आधार पर लागत का आंकलन किया गया है।

(6) निर्माण एजेन्सी द्वारा मानक लागत में सम्मिलित सभी मदों का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। जिस मद का कार्य एजेन्सी द्वारा सम्पादित नहीं कराया जायेगा वह धनराशि सकारण एजेन्सी विभाग को वापस करेगी। इस प्रयोजनार्थ महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 द्वारा निर्माण एजेन्सी को मानक पुनरीक्षित प्रारम्भिक आगणन की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु यथेष्ट कार्यवाही की जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि से निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का किसी अन्य कार्य हेतु उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) परियोजनाओं में टाईम ओवर रन/कॉस्ट ओवर रन के सम्बन्ध में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) उपरोक्तानुसार धनराशियों को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी0-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय।

(12) व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर रखे जाने के संबंध में बजट मैनुअल में दिये गये निर्देशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2011 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय तथा तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(13) उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक सीमित रख जायेगा। कार्य स्वीकृत लागत की सीमा में पूर्ण करने, कार्य की विशिष्टियां मानक एवं गुणवत्ता तथा कार्य को समय से पूर्ण किये जाने तथा सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव के लिए सम्बन्धित जनपदों के सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन पूर्णतया उत्तरदायी होगे।

(14) प्रायोजना की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(15) स्वीकृत धनराशि किसी भी दशा में बैंक/डाकघर /पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि आवश्यकता के अनुसार आहरित कर स्वीकृत कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

(16) निर्माण कार्यो में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज़ नियमों तथा समय-समय पर तदसम्बन्धित शासनादेशो तथा नियमों के अनुसार ही किया जाय।

(17) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 7 तारीख तक महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायगा।

(18) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानो के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद व शासन को प्रेषित किये जायेगे।

(19) उक्त परियोजनाओं हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था से निर्धारित रूप पत्र पर उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर के महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपभोग प्रमाण पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त शासन को उपलब्ध करायेगे।

(20) परियोजना की मात्राओ को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद के सहायक महानिरीक्षक निबन्धन तथा कार्यदायी संस्था के अधिकारी पूर्णतया उत्तरदाई होगे।

3- स्वीकृत निर्माण कार्य हेतु किये जाने वाले व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-07-2014 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26-08-2014 में प्राविधानित व्यवस्था का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-91 के लेखा शीर्षक-4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-03-स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु एक मुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के अधीन सुसंगत मद के नामे डाला जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-07-2014 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी0-2-3361/दस-14-244/14 दिनांक 28-11-2014 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

संख्या:-7/2015/714(1)/11-5-2015-218(39)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कन्सट्रेक्शन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लि0 (पूर्व नाम उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) उ0प्र0।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5- निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
6- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
7- सम्बन्धित मण्डल/जनपद के उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0।
8- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9- मुख्य अभियन्ता, यू0पी0 स्टेट कन्सट्रेक्शन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लि0 (पूर्व नाम उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12- गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।